<u>कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फतेहपुर।</u>
प्रेस नोट--दिनाक: 20.03.2025

मानमीय उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पत्रांक-3477/एस.एल.एस.ए.ए/2010 दिनांक-30 अक्टूबर 2023 एवं माननीय जनपद न्यायाधीश, फतेहपुर के अनुमोदन के अनुक्रम में जिला विधिक सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराये गये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण (चौकीदार 01 पद एवं सफाईकर्मी 01 पद) कुल दो पदों पर नियत मासिक मानदेय कमशः 5960/रूपये एवं 2390/रूपये पर अस्थाई रूप से नियुक्ति जरिये आउटसोर्सिंग एजेन्सी से की जानी है। पंजीकृत सेवा प्रदाता, का जेम पोर्टल में पंजीकरण अनिवार्य है, से आवेदन आमंत्रित किये जाते है।

उक्त पदो पर नियुक्ति हेतु आवश्यक योग्यता व नियम व शर्ते तथा आवेदन पत्र का प्रारुप माननीय जिला न्यायालय, फतेहपुर की वेबसाइट-https://districts.ecourts.gov.in/fatehpur से डाउनलोड किया जा सकता है एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय से दिनांक-02.04.2025 से 10.04.2025 तक प्राप्त किया जा सकता है।

दिनांक-20.03.2025

अजय सिंह प्रथम
अपर जिला जज/सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
फतेहपुर।

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फतेहपुर में , चौकीदार के एक पद एवं सफाईकर्मी के एक पद पर भर्ती हेतु योग्यता नियम व शर्ते

जेम पोर्टल पर पंजीकृत सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराये गये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण (चौकीदार 01 पद एवं सफाईकर्मी 01 पद) के कुल दो पदों पर नियत **मासिक मानदेय क्रमशः 5960/रूपये एवं 2390/रूपये पर अस्थाई रूप से दिनांक–28 फरवरी 2024 तक के लिए** नियुक्त जरिये आउटसोर्सिंग एजेन्सी से की जायेगी। सेवा प्रदाता का जेम पोर्टल में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। नियुक्त कर्मचारियो के मानदेय का जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फतेहपुर द्वारा सेवा प्रदाता के बैंक खाते में ई–पेमेन्ट चेक के माध्यम से भुगतान किया जायेगा और सम्बन्धित कर्मचारीगण उक्त सेवा प्रदाता से अपने मानदेय का भुगतान प्राप्त करेंगे सम्बन्धित कर्मचारी और प्राधिकरण के मध्य इस सम्बन्ध में कोई संव्यवहार अथवा पत्राचार नहीं हो सकेगा।

उपरोक्त अस्थायी पदों पर नियुक्ति हेतु निम्नलिखित न्यूनतम योग्यता होगी।

चतुर्थ श्रेणी – जू0 हाईस्कूल उत्तीर्ण।

1. उपरोक्त के अतिरिक्त अच्छे आचरण एवं चाल–चलन वाला, आज्ञाकारी व विनम्र होना अनिवार्य है।
2. सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराये गये कर्मचारी का कोई आपराधिक इतिहास और उस पर अनैतिक आचरण का आरोप नहीं होना चाहिए।
3. आवेदन निःशुल्क है।
4. सेवा प्रदाताओं से आवेदन पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जनपद न्यायालय फतेहपुर के कार्यालय में दिनांक–02.04.2025 से 10.04.2025 तक सायं 05.00 बजे तक जमा किया जायेगा।
5. सेवा प्रदाता स्वयं के व्यय पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फतेहपुर से 100 रूपये के स्टाम्प पर उपरोक्त आशय का इकरारनामा निष्पादित करेगा, जिसमें नियुक्त व्यक्ति के आज्ञाकारी, विनम्र व विहित योग्यता धारक होने की जिम्मेदारी भी सेवा प्रदाता को लेनी होगी।
6. सेवा प्रदाता की सेवा संतोषजनक न पाये जाने पर किसी भी समय व स्तर पर समाप्त कर दी जायेगी।

दिनांक–20.03.2025

अजय सिंह प्रथम
अपर जिला जज/सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
फतेहपुर।